**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना शेरकोट** **दिनांक – 03.02.2024**

# थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 09 वर्षीय बच्चे का फिरौती के लिये अपहरण करने वाले दोनो अभियुक्तगण गिरफ्तार, अपहृत सकुशल बरामद।

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 02.02.2024 की देर रात्रि थाना शेरकोट के डिजिटल वालिन्टियर्स व्हाट्सएप ग्रुप (PS Sherkot DV Bijnor) में एक बच्चा अयान (उम्र करीब 09 वर्ष) पुत्र मौ0 आसिफ निवासी मौ0 खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के गायब होने के सम्बन्ध में एक मैसेज प्राप्त हुआ था। थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मैसेज के माध्यम से प्राप्त उक्त सूचना को गम्भीरता से लेते हुए मौके पर पंहुची। परिजनों से जानकारी की गयी तो परिजनों ने बताया कि अयान शाम के समय करीब 06 बजे खेलने गया था, खेलते हुए वह गायब हो गया है।

पुलिस द्वारा परिजनों के साथ आस-पास छानबीन की गयी तो अयान मौहल्ला काजी सराय कस्बा व थाना शेरकोट में एक खाली पडे खण्डर मे मिला, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे तथा मुँह पर भी टेप लगा था। बच्चे को बंधन मुक्त कराकर पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि कस्बा शेरकोटे के मौहल्ला खुराडा निवासी सुहेल पुत्र मौहम्मद आसिफ व मौहल्ला नायक सराय निवासी अब्दुल्ला पुत्र मौहम्मद मुस्तकीम द्वारा उसका अपहरण कर पास ही खाली पडे खण्डर में बंधक बना लिया था।

घटना के सम्बन्ध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 25/24 धारा 363/364(A)/342 भादवि बनाम 1.सुहेल पुत्र मौ0 आसिफ नि0 मौ0 खुराडा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 2.अब्दुल्ला पुत्र मौ0 मुस्तकीम नि0 मौ0 नायक सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया तथा अपहृत बच्चे को 04 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा घटना में संलिप्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियोग से धारा 363 भादवि का लोप किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण –**

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि हमें अपने खाने खर्चे के लिये पैसो की जरुरत थी तो हम दोनो नें मिलकर योजना बनायी कि अयान का अपहरण कर उसके घर वालो से पैसो की मांग करेगें। हम दोनो नें अयान को मौहल्ला काजीसराय के एक बन्द पडे मकान में बन्द करके रस्सी से हाथ पैर बाध दिये तथा मुंह पर टैप लगाकर हम यह तय कर रहे थे कि अयान के घर वालो से कितने पैसों की मांग की जाये तभी अयान को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

1.सुहेल पुत्र मौ0 आसिफ निवासी मौ0 खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.अब्दुल्ला पुत्र मौ0 मुस्तकीम निवासी मौ0 नायक सराय थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

**बरामद/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.धीरज सिह थानाध्यक्ष थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.का0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4. का0 1297 अनुज ढाका थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात दिनांक – 03.02.2024**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 332/2023 धारा 498ए/323/324/307/377/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 05.12.2023 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.सुबोध 2.आशीष पुत्रगण सुरेन्द्र 3.तारा देवी पत्नी सुरेन्द्र 4.ज्योति पत्नी आशीष निवासीगण ग्राम हीरापुर माली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व 5.शोभा पत्नी अंकित निवासी ग्राम शाहपुर गंगहेडी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए गाली गलौच तथा मारपीट की गयी एवं वादिनी के पति सुबोध द्वारा वादिनी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया गया तथा जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया गया। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 332/2023 धारा 498ए/323/324/307/377/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम सुबोध आदि उपरोक्त कुल 05 नफर पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही –**

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.02.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुबोध कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हीरापुर माली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

सुबोध कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हीरापुर माली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.कां0 2545 अवनीश थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

# जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़** **दिनांक – 03.02.2024**

## "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस व स्वाट टीम द्वारा थाना अफजलगढ क्षेत्र से गुमशुदा हुए व्यक्ति को किया सकुशल बरामद ।

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 26.12.2023 को शुभम सिंह (उम्र करीब 22 वर्ष) पुत्र जयसिंह निवासी रेलवे रोड गांधी ग्राउण्ड साई वाली गली थाना कोतवाली जनपद बदायूं अपने परिजनो के साथ थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिक्कावाला में पूजा करने के लिए आया था जोकि मानसिक रूप से थोडा कमजोर था अचानक कहीं गुम हो गया । इस सम्बन्ध में गुमशुदा के पिता जयसिंह की तहरीर पर थाना अफजलगढ पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी ।

**कार्यवाही –**

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस एवं स्वाट टीम को गुमशुदा की सकुशल बरामदगी हेतु लगाया गया । इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा दिनांक 02.02.2024 को शुभम उपरोक्त लखनऊ से सकुशल बरामद कर विधिक कार्यवाही के उपरान्त उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया ।

**गुमशुदा का नाम व पता –**

शुभम सिंह (उम्र करीब 22 वर्ष) पुत्र जयसिंह निवासी रेलवे रोड गांधी ग्राउण्ड साई वाली गली थाना कोतवाली जनपद बदायूं

**बरामद करने वाली पुलिस टीम –**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सरोज थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री शौकत अली प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर
3.आरक्षी गौरव स्वाट टीम जनपद बिजनौर
4.आरक्षी अनिल स्वाट टीम जनपद बिजनौर
5.आरक्षी हरेन्द्र स्वाट टीम जनपद बिजनौर
6.आरक्षी भूपेन्द्र थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
7.आरक्षी रविन्द्र कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोटः- थाना किरतपुर** **दिनाँक 03.02.2024**

**थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323/452/504/506 भादवि में वांछित अभियक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 23.01.2024 को वादी यशवीर पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रोहित, 2.अनिल पुत्रगण रामकुमार निवासी ग्राम मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, 3.सुमित पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम बिसाट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 4.रिन्कु पुत्र नरपाल निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डन्डो आदि से वादी के परिजनो के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही :-**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र रामकुमार निवासी मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–**

रोहित पुत्र रामकुमार निवासी मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 श्री हंसराज सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1106 ईशु कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात** **दिनाँक 03.02.2024**

**थाना को0 देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही :-**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 18 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–**

अशोक कुमार पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**बरामदगी विवरणः-**

18 लीटर अवैध कच्ची शराब।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. हे0का0 285 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात बिजनौर
2. का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात बिजनौर
3. का0 2458 रूपेन्द्र थाना कोतवाली देहात बिजनौर
4. का0 संदीप कुमार आबकारी विभाग नगीना, बिजनौर

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना शिवाला कलां** **दिनांक- 03.02.2024**

# थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

**कार्यवाहीः-**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.02.2024 को थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मालवा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

1. विवेक कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मालवा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

1.उ0नि0 श्री सुबोधपाल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
2.मुख्य आरक्षी 601 राजेन्द्र थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 03-02-2024**

# थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

## कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त देव उर्फ दौलत पुत्र दुर्गो निवासी मौ0 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम देव उर्फ दौलत उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

1.देव उर्फ दौलत पुत्र दुर्गो निवासी मौ0 काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

## बरामदगी का विवरणः-

1- 01 अवैध चाकू।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. मुख्य आरक्षी 603 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना हल्दौर** **दिनांक – 03.02.2024**

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 03 बाल अपचारियों को दो अवैध शस्त्रों सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।**

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम व आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को निर्विघ्न/सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा तीन बाल अपचारियों को एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 07 जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस व एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इस सम्बन्ध थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 38/2024 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारियों का विवरण –**

03 बाल अपचारी

**बरामदगी का विवरण –**

एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 07 जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

**बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 श्री सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 397 शक्ति पंवार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 374 योगेश कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

4.कां0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

5.कां0 2459 राजीव तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 03.02.2024**

**“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा चोरी के आरोपी दो अभियुक्तों को 03 वर्ष छः माह के कारावास व प्रत्येक को ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

दिनांक 26.06.2023 को वादी श्री अरविन्द कुमार, उपजेलर जिला कारागार जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि वह दिनांक 21.06.2023 को 03 दिवस अवकाश पर गये थे, जब दिनांक 25.06.2023 को वापस आकर देखा तो वादी के आवास से अज्ञात चोरों द्वारा सोने/चांदी के आभूषण व नगदी चोरी कर ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 611/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 28.06.2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.रिहान उर्फ सुलेमान पुत्र इरशाद 2.आफताब पुत्र इरशाद निवासीगण लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये आभूषण व नगदी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.02.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण 1.रिहान उर्फ सुलेमान पुत्र इरशाद 2.आफताब पुत्र इरशाद निवासीगण लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष छः माह के कारावास व प्रत्येक को ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.रिहान उर्फ सुलेमान पुत्र इरशाद निवासी लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.आफताब पुत्र इरशाद निवासी लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

# घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

## डिप्टी जेलर के आवास में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार

- 21 से 25 जून की रात की थी चोरी की वारदात
- डिप्टी जेलर इस समय अवकाश पर थे

बिजनौर, संवाददाता। डिप्टी जेलर के आवास में चोरी करने वाले दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने चोरों से चोरी का माल भी बरामद किया है। चोरों ने 21 से 25 जून की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इन दिनों डिप्टी जेलर अवकाश पर गए हुए थे।

जिला कारागार के उप कारापाल अरविंद कुमार 21 जून से तीन दिन के अवकाश अपने अपने गृह जनपद बरेली गए थे। इस दौरान उनके घर पर कोई नही था। जब वह 25 जून को अपने सरकारी आवास पर आए, तो उनकी रसोई की खिड़की टूटी पड़ी थी और घर का सामान अस्तव्यस्त था। बेडरूम की अलमारी भी टूटी हुई थी। उन्होंने मामले की सूचना जेल अधीक्षक डा. अदिति श्रीवास्तव व पुलिस को दी। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि घर से सोने की झुमकी, हार, अंगूठी, पायल व 41 हजार रुपये नगद चोरी हुए है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो सीसीटीवी फुटेज में दो चोर जाते दिखाई दिए। पुलिस ने चोरों की पहचान रिहान उर्फ सुलेमान व आफताब पुत्रगण इरशाद निवासी मोहल्ला लडापुरा थाना कोतवाली नगर के रूप में की। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। दोनों पर पहले भीक कई मुकदमे दर्ज है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई मीर हसन, कुलदीप कुमार आदि शामिल रहे।

## डिप्टी जेलर का आवास खंगालने वाले दो चोर गिरफ्तार

बिजनौर। डिप्टी जेलर के सरकारी आवास में लाखों की चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से करीब छह लाख रुपये की कीमत के गहने भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों का चालान कर दिया गया है।

शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोपी रिहान उर्फ सुलेमान और आफताब निवासीगण लड़ापुरा थाना कोतवाली शहर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी हुए गहने बरामद कर लिए हैं। पुलिस चोरों के पास से सोने की घड़ी, एक एक रुपये के सौ नोट, सोने के नौ कंगन और 23 चूड़ी समेत अन्य गहने बरामद किए गए हैं। गहनों की कीमत करीब छह लाख रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों ही शातिर चोर हैं। जिन पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं।

बता दें कि 21 जून को बिजनौर जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर अरविंद कुमार अवकाश पर चले गए थे। संवाद

## जेल से छूटा तो खंगाल दिया डिप्टी जेलर का आवास

### जेल में मिलाई को आए चोर ने की थी घर की रेकी, सामान मिला

जागरण संवाददाता, बिजनौर : एक शातिर चोर ने जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही जिला कारागार के डिप्टी जेलर का सरकारी आवास खंगाल दिया। पुलिस ने सगे भाइयों को गिरफ्तार नगदी और जेवरात बरामद किया है। आरोपित ने माल को भाई के पास छिपाया था।

अरविंद कुमार जिला कारागार में डिप्टी जेलर (उप कारापाल) के पद पर तैनात हैं। जेल के पास ही उनका सरकारी आवास है। 21 जून को वह छुट्टी गए थे। सरकारी आवास में ताला लगा था। 26 जून को वापस आए तो चोरों ने उनका आवास खंगाल दिया था। चोर एक लाख की नगदी व ढाई लाख कीमत के जेवर ले गए थे। डिप्टी जेलर की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एसआइ मीर हसन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस को जांच में पता चला कि घटना को अंजाम देने वाला चोर डेढ़ माह पहले ही चोरी के मामले में जेल से छूटा है। पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रिहान पुत्र इरशाद को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने उसके भाई आफताब को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। रिहान ने अकेले ही चोरी को अंजाम दिया था। चोरी के बाद ही माल को अपने भाई के पास छिपा दिया था। चोरों के पास से एक-एक रुपये के 100 नोट, नौ कंगन, तीन कान के झुके, 23 हाथ की चूड़ी, एक गले की तब्बीजी व 34 सौ रुपये बरामद हुए। रिहान में चोरी व एनडीपीएस के नौ केस दर्ज हैं। रिहान कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

पुलिस की गिरफ्त में डिप्टी जेलर के आवास में चोरी के आरोपित● सौजन्य पुलिस

#### 22 जून को जेल पहुंचा था

रिहान कई बार जेल जा चुका है। उसकी परिचित बंदी जेल के अंदर है। 22 जून के करीब वह जेल पर मिलाई के लिए आया था। इसी दौरान उसने देखा कि डिप्टी जेलर के आवास पर ताला लटका हुआ है। जानकारी करने पर पता चला कि डिप्टी जेलर तीन दिन की छुट्टी पर हैं। इसी दौरान उसने चोरी की योजना बना डाली। अगले दिन रात में आवास में घुस गया था। टीम में शहर कोतवाल जीत सिंह, एसआइ मीर हसन व कुलदीप शामिल रहे।